

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-57/2025- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० अमीत सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, खाजेचौद छपरा, वैशाली सम्प्रति ट्युटर नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के दिनांक-15.09.2020 से 14.09.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-15.09.2023 से 01.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-15.09.2020 से 14.09.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-15.09.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-57/2025- 934 (2) पटना, दिनांक 5/6/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, खाजेचौद छपरा, वैशाली/जिला कोषागार, पटना/डा० अमीत सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, खाजेचौद छपरा, वैशाली/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।